# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगंज, जिला बारां, राज0

पीठासीन अधिकारी चंदन दुबे (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं0 53/ 2019
दायरा दिनांक 19.06.2019
निर्णय दिनांक 08.07.2019

**बउनवान**

1. अजेन्द्र सिंह उम्र 22 वर्ष पुत्र धृतपाल सिंह जाति सिक्ख जाट निवासी बादीपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)

वादी

**बनाम**

1. धृतपाल पुत्र नरेन्द सिंह जाति सिक्ख जाट निवासी बादीपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां
2. सजेन्द्र सिंह पुत्र धृतपाल सिंह जाति सिक्ख जाट निवासी बादीपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)
3. रमनदीप कौर पुत्री धृतपाल सिंह जाति सिक्ख जाट निवासी बादीपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0) हाल निवासी रंगपुरा तहसील बमोरी जिला गुना (म0प्र0)
4. मनदीप कौर पुत्री धृतपाल सिंह जाति सिक्ख जाट निवासी बादीपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)
5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगंज जिला बारां (राज0)

**प्रतिवादीगण**

<u>वाद अन्तर्गत धारा, 88,89,90,188,53,आर0टी0एक्ट व धारा 136 एल0आर0एक्ट</u>

<u>निर्णय</u> दिनांक :—08.07.2019

वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,90,188,53,आर0टी0एक्ट व धारा 136 एल0आर0एक्ट जरिये अभिभाषक श्री सत्यनारायण गोयल इस आशय का पेश किया

1. यह कि वाकेग्राम बादीपुरा पटवार हल्का बादीपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0) मे आराजियात् खेवट खतौनी नई 74 पुरानी 71 ख0न0 216/ 2 रकबा 5.17 बीघा स्थित है एवं ग्राम बादीपुरा पटवार हल्का बादीपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0) मे आराजियात् खेवट खतौनी नई 70 पुरानी 68 ख0न0 37/1 रकबा 5.12 बीघा, ख0न0 232 रकबा 1.14 बीघा, ख0न0 233 रकबा 1.12 बीघा, ख0न0 248/ 2 रकबा 15.00 बीघा, ख0न0 261/ 2 रकबा 2.00 बीघा, ख0न0 459/258 रकबा 6.00 बीघा, ख0न0 460/ 259 रकबा 4.00 बीघा, कुल किता 7 कुल रकबा 35.18 बीघा स्थित है। इस मद मे वर्णित आराजियात् को वाद पत्र में वादग्रस्त आराजियात् के नाम से सम्बोधित किया गया है।
2. यह कि वादग्रस्त आराजीयात् के वर्तमान खातेदार वादी एवं प्रतिवादी क्रम 2 ता 3 के पिता प्रतिवादी क्रम 1 धृतपाल सिंह है यह भूमि प्रतिवादी क्रम 1 को अपने पूर्वजों की विरासत से प्राप्त हुई है। प्रतिवादी क्रम 1 के वर्तमान मे केवल 2 पुत्र वादी अजेन्द्र सिंह एवं प्रतिवादी क्रम 2 सजेन्द्र सिंह एवं पुत्रियां प्रतिवादिया क्रम 3 रमनदीप कोर एवं प्रतिवादिया क्रम 4 मनदीप कोर है। इनके अलावा विवादित आराजी मे हक एवं अधिकार जताने वाला अन्य कोई प्रतिवादी क्रम 1 का वारिस वर्तमान मे जीवित नही है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी क्रम 1 को वादी के पूर्वजों से प्राप्त हुई है। इस कारण विवादित भूमि मे वादी का कानूनी पेमाईशी हक है वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के मध्य हुये मौखिक बंटवारे के अनुसार विवादित भूमि मे खाता सं0 74 ख0न0 216/2 कुल

रकबा 5.17 बीघा मे से 5.00 बीघा पूर्वी ग्राम बादीपुरा एवं खाता ंस0 70 ख0न0 248/ 2 कुल रकबा 15.00 बीघा मे से 7.00 बीघा पश्चिमी वाके ग्राम बादीपुरा कुल 12 बीघा भूमि वादी को प्राप्त हुई एवं प्रतिवादी क्रम 2 सजेन्द्र सिंह को खाता सं0 70 ख0न0 248/2 कुल रकबा 15 बीघा मे से 8 बीघा पूर्वी एवं ख0न0 460/259 मुल रकबा 4 बीघा भूमि कुल 12 बीघा भूमि प्राप्त हुई है। एवं प्रतिवादी क्रम 1 धृतपाल सिंह को विवादित भूमि खाता सं070 ख0न0 232 रकबा 1.14 बीघा, ख0न0 233 रकबा 1.12 बीघा, ख0न0 261/ 2 रकबा 2.00 बीघा, ख0न0 459/258 रकबा 6.00 बीघा कुल किता 5 कुल रकबा 11.06 बीघा एवं खाता सं0 74 की ख0न0 216/2 कुल रकबा 5.17 बीघा भूमि मे से 17 बिस्वा भूमि इस प्रकार दोनो खातो में कुल 12.03 बीघा भूमि प्राप्त हुई है। जिस पर वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 काबिज काश्त करते चले आ रहे है। एवं प्रतिवादी क्रम 3 व 4 द्वारा विवादित भूमि को कोई हिस्सा नही लिया है एवं वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के पक्ष मे हकत्याग किया है इस कारण खाता सं0 74 ख0न0 216/ 2 रकबा 5.00 बीघा पूर्वी वाके ग्राम बादीपुरा एवं खाता सं0 77 ख0न0 248/ 2 रकबा 7.00 बीघा पश्चिमी वाके ग्राम बादीपुरा पर वादी स्वयं को खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है।

3. यह कि वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 का संयुक्त हिन्दू परिवार है जिसका विभाजन नही हुआ है। वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 मद नं0 1 वाद पत्र मे वर्णित वादग्रस्त भूमि मे से मौखिक विभाजन में प्राप्त भूमि के अपने–अपने हिस्सों पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है परन्तु वादी क्रम 1 अनाधिकृत जबरन वादी को उसकी जायज हक से वंचित करने के उद्देश्य से मद नं0 1 वाद पत्र मे वर्णित वादग्रस्त आराजियात् को रहन बेचान व अन्य प्रकार से अन्तरण कर खुर्दबुर्द करने व वादी को उसके हिस्से से बेदखल करने पर आमादा है इस कारण वादी खिलाफ प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी एवं नालिशी है।
4. यह कि वादी एवं प्रार्थीगण क्रम 1 ता 4 के मध्य आपस मे सीमा विवाद होता रहता है इस कारण वादी ने प्रतिवादीगण से विवादित भूमि का विभाजन करने का निवेदन दिनांक 02.06.2019 को किया परन्तु उन्होने विभाजन करने से इन्कार कर दिया इस कारण वादी मौखिक विभाजन मे प्राप्त भूमि के अनुसार खातेदार घोषित करवाने व विवादित भूमि का विभाजन राजस्व रिकॉर्ड मे करवाने का अधिकारी एवं नालिशी है।
5. यह कि वादी ने राजस्थान सरकार का प्रतिनिधि तहसीलदार किशनगंज को दिनांक 02.06.2019 को इस बाबत् निवेदन किया परन्तु उन्होने कोई सहायता नही की तथा दावा करने की सलाह दी यही से वादकारण पैदा हुआ । दिनांक 02.06.2019 को प्रतिवादी क्रम 1 ने वादी के हकूक मानने से मना कर दिया। प्रतिवादी क्रम 1 ने दिनांक 02.06.2019 को वादी को धमकी दी है कि चाहे लाशे गिर जाये विवादित भूमि वर्णित मद नं0 1 वादपत्र मे स्थित प्रतिवादी क्रम 1 के हिस्से को प्रतिवादी क्रम 1 रहन बेचान व अन्य प्रकार से अन्तरण कर खुर्द बुर्द करके रहेगा तथा वादी को मौखिक विभाजन मे प्राप्त भूमि से बेदखल करके रहेगा। इस कारण वादी खिलाफ प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी एवं नालिशी है।
6. यह कि वादी द्वारा राजस्थान सरकार को जर्ये जिला कलक्टर महोदय बारां ने अपने अधिवक्ता के मार्फत दिनांक दिनांक 12.06.2019 को अन्तर्गत धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस अवधि 2 माह प्रेषित कर दिया है परन्तु वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण 2 माह तक इंतजार किया जाना संभव नही है। इस कारण वाद आवश्यक प्रकृति का होने के कारण 80(2) सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है।
7. यह कि वाद कारण दिनांक 02.06.2019 को उत्पन्न हुआ।
8. यह कि वाद उचित न्यायशुल्क पर माननीय न्यायालय के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में अवधि मध्य प्रस्तुत है।

अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर चरण क्रम 1 मे वर्णित आराजियात् ग्राम बादीपुरा पटवार हल्का बादीपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0) में आराजियात् खाता सं0 74 ख0न0 216/ 2 रकबा 5.17 बीघा मे से 5.00 बीघा पूर्वी पर एवं खाता सं0 70 ख0न0 248/2 कुल रकबा 15.00 बीघा मे से 7.00 बीघा पश्चिमी वर्णित मद नं0 1 व 2 वाद पत्र पर वादी को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी क्रम 1 के स्थान

पर वादी का नाम दर्ज किया जाकर विवादित भूमि का विभाजन किया जाकर वादी के पिता का नाम धरतपाल के स्थान पर धृतपाल राजस्व रिकॉर्ड में संशोधित कर वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में पृथक–पृथक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करे एवं विवादित भूमि वादी के हक मे खिलाफ प्रतिवादीगण आदेशात्मक एवं निषेधात्मक स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर वादी के हकूक मे दखलंदाजी न करने के लिए प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता वादी को प्रदान की जावे।

रिपोर्ट सरिस्ता ली गई प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी हेतु नोटिस सम्मन जारी किये नियत तिथि को प्रतिवादीगण 1 ता 4 की ओर से अभिभाषक कृष्णमुरारी चोपदार ने वकालतनामा पेश किया। उभयपक्ष ने इस आशय का राजीनामा पेश किया कि

1. ग्राम बादीपुरा पटवार हल्का बादीपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0) मे आराजियात् खेवट खतौनी नई 74 पुरानी 71 ख0न0 216/ 2 रकबा 5.17 बीघा स्थित है एवं ग्राम बादीपुरा पटवार हल्का बादीपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0) मे आराजियात् खेवट खतौनी नई 70 पुरानी 68 ख0न0 37/1 रकबा 5.12 बीघा, ख0न0 232 रकबा 1.14 बीघा, ख0न0 233 रकबा 1. 12 बीघा, ख0न0 248/ 2 रकबा 15.00 बीघा, ख0न0 261/ 2 रकबा 2.00 बीघा, ख0न0 459/258 रकबा 6.00 बीघा, ख0न0 460/ 259 रकबा 4.00 बीघा, कुल किता 7 कुल रकबा 35. 18 बीघा स्थित है। जिसको वादपत्र मे वादग्रस्त आराजियात् के नाम से सम्बोधित किया गया है।
2. यह कि वादी एवं प्रतिवादी के मध्य हुये मौखिक विभाजन मे वादी एवं प्रतिवादीगण को निम्न प्रकार भूमि प्राप्त हुई है। यह विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामे से हुआ है।

(1) वादी को विभाजन में प्राप्त भूमि जो राजीनामे से प्राप्त हुई है

| ग्राम | खाता सं0 | | ख0न0 | कुल रकबा | प्राप्त रकबा |
|---|---|---|---|---|---|
| बादीपुरा | नई 74 | पुरानी 71 | 216/2 | 5.17 बीघा मे से | 5 बीघा पूर्वी |
| बादीपुरा | 70 | 68 | 248/2 | 15 बीघा मे से | 7 बीघा पश्चिमी |
| | | कुल किता 2 | | कुल रकबा | 12 बीघा |

(2) प्रतिवादी क्रम 2 राजेन्द्र सिंह को विभाजन मे प्राप्त भूमि जो राजीनामे से प्राप्त हुई है।

| ग्राम | खाता सं0 | | ख0न0 | कुल रकबा | प्राप्त रकबा |
|---|---|---|---|---|---|
| बादीपुरा | नई | पुरानी | | | |
| बादीपुरा | 70 | 68 | 248/2 | 15 बीघा मे से | 8 बीघा पूर्वी |
| | | | 460 /259 | 4 बीघा मे से | 4 बीघा |
| | | कुल किता 2 | | कुल रकबा | 12 बीघा |

(3) प्रतिवादी क्रम 1 ध्रतपाल सिंह को विभाजन मे प्राप्त भूमि जो राजीनामे से प्राप्त हुई है।

| ग्राम | खाता सं0 | | ख0न0 | कुल रकबा | प्राप्त रकबा |
|---|---|---|---|---|---|
| बादीपुरा | नई | पुरानी | | | |
| बादीपुरा | 74 | 71 | 216/2 | 5.17 बीघा मे से | 17 बीघा पश्चिमी |
| बादीपुरा | 70 | 68 | 232 | 1.14 बीघा मे से | 1.14 बीघा |
| | | | 233 | 1.12 बीघा मे से | 1.12 बीघा |
| | | | 261/2 | 2.00 बीघा मे से | 2.00 बीघा |
| | | | 459/258 | 6.00 बीघा मे से | 6.00 बीघा |
| | | कुल किता 5 | | कुल रकबा | 12.03 बीघा |

3. यह कि प्रतिवादी क्रम 3 रमनदीप कौर व प्रतिवादिया क्रम 4 मनदीप कौर ने राजीनामे के अनुसार विवादित आराजी मे से कोई हिस्सा नही लिया है एवं प्रतिवादीया क्रम 3 व 4 द्वारा वादी एवं प्रतिवादी क्रम 2 के पत्र मे हकत्याग किया है।
4. यह कि वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 उनको राजीनामे मे प्राप्त भूमि पर विभाजन के अनुसार एवं राजीनामे के अनुसार विवादित भूमि पर काबिज काश्त हो गये है तथा अब कोई विवाद नही रहा है।

अतः वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुये पटवार हल्का बादीपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0) मे स्थित आराजियात् खेवट खतोनी खाता सं0 74 ख0न0 216／2 कुल रकबा 5.17 बीघा मे से 5.00 बीघा पूर्वी ग्राम बादीपुरा एवं खाता स0 70 ख0न0 248／ 2 कुल रकबा 15.00 बीघा मे से 7.00 बीघा पश्चिमी वर्णित मद नं0 1 वाद पत्र पर वादीको खातेदार घोषित किया जाकर विवादित भूमि से पृथक किया जाकर प्रतिवादी क्रम 1 के स्थान पर वादी का नाम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड मे वादी के पिता धरतपाल का नाम संशोधित कर ध्रतपाल राजस्व रिकॅार्ड में अंकन किया जावे एवं ग्राम बादीपुरा पटवार हल्का बादीपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0) मे आराजियात् खेवट खतौनी नई 70 पुरानी 68, ख0न0 248／ 2 रकबा 15.00 बीघा मे से 8 बीघा पूर्वी,ख0न0 460／ 259 रकबा 4.00 बीघा मे से 4.00 बीघा, कुल किता 2 कुल रकबा 12 बीघा भूमि पर प्रतिवादी क्रम 2 सजेन्द्र सिंह को खातेदार घोषित किया जाकर विवादित भूमि से पृथक किया जाकर प्रतिवादी क्रम 1 के स्थान पर वादी का नाम दर्ज किया जावे एवं राजस्व रिकॅार्ड में प्रतिवादी क्रम 2 के पिता धरतपाल का नाम संशोधित कर ध्रतपाल राजस्व रिकॅार्ड मे अंकन किया जावे एवं ग्राम बादीपुरा पटवार हल्का बादीपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0) मे स्थित आराजियात् खेवट खतोनी खाता सं0 74 ख0न0 216／2 कुल रकबा 5.17 बीघा मे से 17 बिस्वा पश्चिमी पर एवं खेवट खतौनी नई 70 पुरानी 68 ख0न0 232 रकबा 1.14 बीघा,ख0न0 233 रकबा 1.12 बीघा, ख0न0 261／ 2 रकबा 2.00 बीघा,ख0न0 459／258 रकबा 6.00 बीघा, कुल किता 5 कुल रकबा 12.03 बीघा प्रतिवादी क्रम 1 ध्रतपाल का नाम यथावत् रखा जाकर विवादित भूमि से पृथक किया जाकर राजस्व रिकॅार्ड में पृथक से दर्ज किया जावे एवं प्रतिवादी का नाम राजस्व रिकॅार्ड में धरतपाल के स्थान पर ध्रतपाल संशोधित करने के आदेश प्रदान करे एवं वादी एव प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को पाबन्द करे कि वह विभाजन में प्राप्त भूमि पर एक दूसरे के कब्जे काश्त मे दखल अन्दाजी व व्यवधान उत्पन्न नही करे।

प्रस्तुत राजीनामा मे वादी की पहचान अभिभाषक सत्यनारायण गोयल ने की प्रतिवादीगण की पहचान अभिभाषक कृष्णमुरारी चोपदार न की। उभय पक्ष का राजीनामा तस्दीक किया गया। राजीनामानुसार वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,90,188,53 आर0टी0ए0 136 आर0टी0ए0 स्वीकार किया जाता है एवं इस आशय का निर्णय पारीत किया जाता है कि

वाकेग्राम बादीपुरा पटवार हल्का बादीपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0) मे आराजियात् खेवट खतौनी सं0 नई 74 पुरानी 71 ख0न0 216／ 2 रकबा 5.17 बीघा मे से 5 बीघा भूमि पूर्वी एवं खाता सं0नई 70 पुरानी 68 ख0न0 248／ 2 रकबा 15.00 बीघा मे से 7 बीघा पश्चिम पर वादी को खातेदार घोषित किया जाकर पृथक से राजस्व रिकॅार्ड में दर्ज करने के आदेश तहसीलदार किशनगंज को दिये जाते है। वाकेग्राम बादीपुरा पटवार हल्का बादीपुरा तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0) मे आराजियात् खेवट खतौनी नई 70 पुरानी 68 ख0न0 248／ 2 रकबा 15.00 बीघा मे से 8 बीघा पूर्वी, ख0न0 460／ 259 रकबा 4.00 बीघा, मे से 4 बीघा भूमि कुल किता 2 कुल रकबा 12 बीघा भूमि पर प्रतिवादी क्रम 2 सजेन्द्र सिंह को खातेदार घोषित किया जाकर भूमि से पृथक किया जाकर प्रतिवादी क्रम 1 के स्थान पर वादी का नाम दर्ज कर पृथक से राजस्व रिकॅार्ड मे दर्ज करने के आदेश तहसीलदार किशनगंज को दिये जाते है।

वाकेग्राम की आराजी खेवट खतोनी सं0 नई 74 पुरानी 71 ख0न0 216/ 2 रकबा 5.17 बीघा मे से 17 बिस्वा पश्चिमी पर एवं खेवट खतौनी नई 70 पुरानी 68 ख0न0 232 रकबा 1.14 बीघा, ख0न0 233 रकबा 1.12 बीघा, ख0न0 261/ 2 रकबा 2.00 बीघा, ख0न0 459/258 रकबा 6.00 बीघा, कुल किता 5 कुल रकबा 12.03 बीघा प्रतिवादी क्रम 1 धृतपाल का नाम यथावत रखा जाकर विवादित भूमि में पृथक से दर्ज करने एवं धतरपाल के स्थान पर धृतपाल संशोधित करने के आदेश तहसीलदार किशनगंज को दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो निर्णय आज दिनांक 08.07.2019 को सरेइजलास सुनाया गया।

(चन्दन दुबे )
उपखण्ड अधिकारी
किशनगंज

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandan Dubey
Date: 2019.08.01 15:32:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: